CANCELLED CANCELLED

समक्ष न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर, जबलपुर केम्प

राजस्व पुनरीक्षण क्र. निग – 1664 – I – 16

आवेदकगण :- 1. जागे सिंह उम्र लगभग 40 वर्ष
आत्मज श्री किशोर सिंह लोधी
2. मदन सिंह उम्र लगभग 36 वर्ष
आत्मज श्री बोधन सिंह लोधी
दोनों निवासी- पड़रिया (भमक)
तहसील पाटन जिला जबलपुर

श्री ……… अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार ………
23 MAY 2016
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

// विरूद्ध //

अनावेदक :- इन्द्र कुमार पटेल उम्र लगभग 46 वर्ष
आत्मज श्री मोहनलाल कुर्मी पटेल, निवासी- पड़रिया (भमक)
तहसील पाटन, जिला-जबलपुर

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959

आवेदकगण विद्वान अपीलीय न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा राजस्व अपील क्र. 311/अ-6-अ/2015-16 पक्षकार जागे सिंह एवं अन्य विरूद्ध इन्द्र कुमार पटैल में पारित आदेश दिनांक 27.01.2016 से दुखित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर यह पुनरीक्षण याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं :-

// पुनरीक्षण के तथ्य //

1. यह कि आवेदकगण मौजा पड़रिया (भमक) प.ह.नं. 33/71 नं.बं. 256, रा.नि. मं. पिपरिया कला, तहसील पाटन जिला जबलपुर स्थित पुराने ख.नं. 34, नवीन ख.नं. 85 एवं 86, रकवा 0.33 हेक्टेयर भूमि का भूमि स्वामी एवं मालिक काबिज है । आवेदकगण ने उक्त भूमि अनावेदक के चाचा श्री शोभाराम आत्मज विश्वनाथ कुर्मी पटेल से पंजीकृत बैनामा दिनांक 8.5.1995 के तहत क्रय की गई थी । इस प्रकार आवेदकगण उक्त भूमि के समस्त राजस्व अभिलेख में दर्जशुदा भूमि स्वामी एवं मालिक काबिज हैं ।

2. यह कि आवेदकगण के स्वामितव एवं आधिपत्य की उपरोक्त वर्णित भूमि से लगी हुई ख.नं. 87 की भूमि है, जो राजस्व अभिलेख में अनावेदक के नाम दर्ज है । उक्त ख. नं. 87 का मूलतः रकवा राजस्व अभिलेख में 0.21 हेक्टेयर विधिवत प्रक्रिया के तहत बन्दोवस्त के दौरान दर्ज हुआ था, जो विद्वान निम्न विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1664-एक/16 **जिला** - जबलपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29/5/18	यह निगरानी अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 311/अ-6-अ/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 27.01.2016 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा मौजा पड़रिया प0ह0नं0 32 स्थित भूमि खसरा नं. 33 रकवा 0.58 हे. एवं खसरा नं. 87 रकवा 0.32 हे. भूमि का नक्शा दुरुस्त किए जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिस पर कार्यवाही करते हुए अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 10.03.2014 द्वारा नक्शा दुरुस्त किए जाने का आदेश पारित किया गया। जिसके विरुद्ध अपर कलेक्टर जबलपुर के समक्ष अपील पेश की गई जो आदेश दिनांक 20.11.2015 द्वारा अस्वीकार की गई जिसके विरुद्ध अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गई जो आदेश दिनांक 27.01.2016 द्वारा निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। 4/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिवत आपत्तियां बुलाई जाकर एवं प्रस्तुत आपत्तियों का निराकरण किया जाकर पटवारी प्रतिवेदन दिनांक 12.04.2004 के अनुसार अनावेदक के कमी रकवे की पूर्ति किए जाने का आदेश पारित किया गया है। जिसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालयों ने की है। ऐसी स्थिति में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती होकर स्थिर रखे जाने योग्य हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में प्रथम दृष्टया हस्तक्षेप का कोई आधार	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	प्रतीत नहीं होता है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। उभ्यपक्ष सूचित हों, अभिलेख वापिस हो। **(एम.गोपाल रेड्डी)** **प्रशासकीय सदस्य**	